नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में सारदा समूह वाला कथित घोटाला कुल 2460 करोड़ रुपए का है जिसमें निवेशकों की करीब 80 फीसद राशि का अभी भी भुगतान नहीं हुआ है। यह खुलासा एक नवीनतम जांच रिपोर्ट में हुआ है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सारदा समूह की कंपनियों ने जो भी निवेश प्राप्त किया उस पर ''पूरा नियंत्रण'' समूह के अध्यक्ष सुदीप्त सेन का है जो कि कथित धोखाधड़ी के लिए जांच के घेरे में है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सारदा समूह की चार कंपनियां तीन योजनाओं के तहत राशि जुटाती थीं जिसमें सावधि जमा, आवर्ती जमा और मासिक आय जमा शामिल है। यह योजनाएं सीधे साधे निवेशकों को प्रतिफल रिटर्न के तौर पर ''भूसम्पत्ति या विदेशी दौरे'' का लालच देती थीं।

पश्चिम बंगाल पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय की एक संयुक्त जांच रिपोर्ट पीटीआई के पास है। इसमें कहा गया है, ''वर्ष 2008..2012 (समूह की) संक्षिप्त रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि सारदा समूह की चार कंपनियों ने अपनी पॉलिसी जारी करके 2459.59 करोड़ रुपए जुटाए।''

रिपोर्ट में कहा गया है, ''निवेशकों को 476.57 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। 16 अप्रैल 2013 तक निवेशकों को जो मूलधन लौटाया गया वह 1983.02 करोड़ रुपए था।''

जांच एजेंसियों ने कंपनियों के बही खाते का विश्लेषण और निवेशकों के बयान दर्ज करने के बाद आंकड़ा तैयार किया। इसमें दिखाया गया है कि निवेशकों की 80 फीसदी राशि अभी भी फंसी हुई है।

जांच अधिकारियों ने पाया कि निवेशकों से राशि जुटाने में सारदा समूह की मुख्यत: चार कंपनियां लगी हुई थीं जिसमें सारदा रियलिटी इंडिया लिमिटेड, सारदा टूर्स एंड ट्रैवेल्स प्राइवेट लिमिटेड, सारदा हाउजिंग प्राइवेट लिमिटेड और सारदा गार्डेन रिसॉर्ट एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल थी।

रिपोर्ट में कहा गया है, ''निवेशकों को एक तय अवधि के बाद अपना निवेश उच्च रिटर्न के साथ भुनाने का भी विकल्प दिया गया था।''

रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने धोखाधड़ी के शिकार निवेशकों की कुल 560 शिकायतें दर्ज की है।

गोपनीय रिपोर्ट में कहा गया है, ''अभी तक की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि सेन ने जनता से राशि जुटाने के लिए कई कंपनियां खोली थीं जिसके पश्चिम बंगाल के साथ ही ओडिशा, असम, झारखंड तथा अन्य राज्यों में कई शाखाएं थीं।

(भाषा)